संख्या 46/2020/358/41-2020-01 संवर्धन (नीति)/2019

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन उ0प्र0,
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 फरवरी, 2020**

विषय-प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 'मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5302/6-1-1/मा0म0प0स0यो0/रा0यो0/2020 दिनांक 03 जनवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2019 को प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत एक पर्यटन केन्द्र को विकसित किये जाने की घोषणा की गयी थी। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक पर्यटन स्थल को विकसित किये जाने की निम्नवत् दिशा निर्देश/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:-

"मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना" के प्रमुख उद्देश्य-

1. उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन कर उसे उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
2. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन विकास एवं सवंर्धन की भावना लाना।
3. स्थानीय एवं घरेलू पर्यटक आवागमन में निरन्तर वृद्धि लाना।
4. चिन्हित पसंदीदा पर्यटक स्थल पर पर्यटन सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करना।
5. पर्यटन स्थलो पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।
6. चयनित पर्यटक स्थल पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
7. पर्यटन स्थल के सवंर्धन से स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं पर्यटन सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना।
8. पर्यटन स्थल की स्थापना से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करना।
9. उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महत्व के स्थलों से चयनित पर्यटन स्थल को परस्पर जोड़ना।

पर्यटन स्थल का चयन-

1. पर्यटन विकास हेतु प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 01 पर्यटन केन्द्र का चयन सम्बन्धित मा0 विधायक एवं जिलाधिकारी की संस्तुति के अनुसार किया जायेगा। जिस पर्यटन स्थल का विकास किया जायेगा, वह धार्मिक, सांस्कृतिक, पौराणिक या ऐतिहासिक एवं पर्यटन की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होना चाहिए। चयनित पर्यटन स्थल का आगणन जिलाधिकारी द्वारा तैयार कराकर अपनी संस्तुति सहित महानिदेशक पर्यटन को प्रेषित करेंगें। महानिदेशक पर्यटन के स्तर से उक्त प्रस्ताव पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जायेगा।
2. पर्यटन विकास हेतु उसी स्थल का चयन किया जाय जहां कोई भूमि विवाद अथवा अन्य विवाद न हो।
3. पर्यटन विकास हेतु चयनित स्थल को बदला नहीं जायेगा। विशेष परिस्थितियों में मा0 सदस्य, विधान सभा की सहमति से शासन की संस्तुति पर पर्यटन स्थल को बदलने पर विचार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. पर्यटन स्थल के विकास हेतु आगणन का गठन वित्त विभाग द्वारा नामित राजकीय निर्माण एजेन्सियों द्वारा ही तैयार कराये जायेंगे।

<u>पर्यटन स्थलों पर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले सम्भावित कार्य-</u>

योजना के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, लैण्डस्केपिंग, बेन्चों का निर्माण, साइनेज, पेयजल, स्टोर रूम, लाकर, जूता घर, चबूतरा, रेलिंग, फेन्सिंग, परिसर के अन्दर पाथवे, इण्टरलाकिंग टाईल्स कार्य व अन्य अनुमन्य सौन्दर्यीकरण कार्य, परिसर के अन्दर पार्किंग, गेट, प्रकाश व्यवस्था, इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प, सुलभ प्रसाधन, घाट, सम्पर्क मार्ग तथा परिसर के बाहर पार्किंग के कार्य कराये जा सकेंगे। पर्यटन स्थल पर यथासम्भव उक्त कार्य ही कराये जायेंगे, किन्तु विशेष परिस्थितियों में औचित्य होने पर सूची से इतर कार्य भी कराये जा सकेंगे।

<u>योजना के क्रियान्वयन की समिति-</u>

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मा0 विधायक (सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र)	पदेन सदस्य
3	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
5	उप जिलाधिकारी (सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र)	सदस्य
6	पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य-सचिव
7	लोक निर्माण विभाग के सहायक/अधिशासी अभियन्ता स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
8	सिंचाई विभाग के सहायक/अधिशासी अभियन्ता स्तर का प्रतिनिधि	सदस्य
9	सी0एस0आर0 फण्ड हेतु जिलाधिकारी द्वारा नामित जिले के अग्रणी उद्यमी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य
10	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य

<u>क्रियान्वयन समिति के कार्य-</u>

1. प्रत्येक पर्यटन स्थल पर विकसित किये जाने वाली पर्यटक सुविधाओं की आवश्यकता का आकलन कराना तथा कार्यदायी संस्था के माध्यम से तदनुसार आगणन गठित कराना। गठित आगणन को जिलाधिकारी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए अपनी संस्तुति सहित महानिदेशक पर्यटन को प्रेषित करेंगे। कार्यदायी संस्था का औपचारिक चयन पर्यटन विभाग द्वारा किया जायेगा।
2. विकसित की गयी परिसम्पतियों के अनुरक्षण एवं संचालन की व्यवस्था तय करना।
3. परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
4. योजना के अन्तर्गत सृजित परिसम्पतियों के रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि हेतु आय के साधन विकसित करना।
5. योजना के रख-रखाव एवं देख-रेख के लिये नियमानुसार प्रबन्धन अनुबन्ध निष्पादित करना।

<u>योजना के अन्तर्गत कार्यो का क्रियान्वयन-</u>

1. योजना के क्रियान्वयन में कार्यदायी संस्था द्वारा राज्य लोक निर्माण विभाग की अनुसूची दरों का एवं सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यो पर सिंचाई विभाग की अनुसूची दरों का प्रयोग किया जायेगा।
2. योजना के कार्यों के सम्पादन का पर्ट चार्ट एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व परियोजना स्थल के उन स्थानों के फोटोग्राफ जहां कार्य होने हैं, योजना के विस्तृत आगणन में अनिवार्य रूप से संलग्न किये जायेंगे।
3. परियोजना में पर्यटन विभाग हेतु निर्धारित कार्यों की सम्पूर्ण धनराशि 50-50 प्रतिशत की दो किश्तों में जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ पर्यटन विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे। पर्यटन विभाग उक्त अभिलेखों के क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं संस्तुति के उपरान्त द्वितीय किश्त जारी करेगा।

<u>योजना में चयनित पर्यटन स्थल के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था-</u>

1. योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग से वित्त पोषण की सीमा धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) तक होगी। योजना की सीमा धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) से अधिक होने पर धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) से ऊपर के कार्य विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 अथवा सम्बन्धित विभागों के बजट से कराये जायेंगे।
2. जिलाधिकारी विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यो को विधायक निधि सम्बन्धी नियमावली तथा अन्य लागू प्राविधानों के अनुसार पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के वित्त पोषण में विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 का विशेष महत्व है। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक परियोजना में यथासम्भव अधिकतम वित्त पोषण विधायक निधि एवं सी0एस0आर0 से प्राप्त हो।

<u>योजना के अन्तर्गत विकसित पर्यटन स्थल का रख-रखाव-</u>

चयनित पर्यटन स्थल का कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्मित पर्यटन स्थल का रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। जिलाधिकारी यथावश्यकतानुसार पर्यटन स्थल के रख-रखाव का कार्य स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत अथवा प्रबन्ध समिति का गठन कराकर किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या 46/2020/358(1)/41-2020-01 संवर्धन (नीति)/2019 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त उप निदेशक, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।